


## दुकान नं० 01 की बोली के नियम व शर्तें

- 1 बोलीदाताओं को बोली आरम्भ करने से पहले जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु० 25,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट धरोहर केरूप में इस कार्यालय में जमा करवाने होंगे बोली दिनांक 06-07-2020 को प्रातः 11-00 बजे बाल भवन में होगी।
- 2 दुकान की मासिक लाइसेंस फीस मु० रू० 6500/- छः हजार पांच सौ रूपये होगी।
- 3 बोली सबसे अधिक रिफण्डेबल सिक्योरिटी देने वाले के नाम छोड़ी जावेगी। सिक्योरिटी की न्यूनतम बोली मु० 500000/-रूपये से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दुकान अधिकतम रिफण्डेबल सिक्योरिटी की बोली देने वाले को दी जावेगी।
- 4 सफल बोलीदाता द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी के बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवाई जावेगी तथा शेष राशि 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निश्चित अवधि में राशि जमा करवाने में असफल होने पर बोलीदाता द्वारा कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में जमा करवाई गई राशि मु० 25000/-रूपये जब्त कर ली जाएगी।
- 5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय माननीय उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को स्वीकृति उपरांत ही मान्य होगा। दुकान का कब्जा देने की तिथि से किराया शुरू होगा।
- 6 सफल बोलीदाता को दुकान का कब्जा लेने से पहले एक लाइसेंस डीड सम्पन्न करनी होगी। जिसका समस्त हर्जा-खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
- 7 जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि, समय व स्थान बदलने व रद्द करने का अधिकार होगा।
- 8 किसी भी प्रकार के विवाद में उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 9 दुकान की लाइसेंस डीड की अवधि 3 वर्ष की होगी।
- 10 सफल बोलीदाता को दुकान की मासिक फीस प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत में मु० 20/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी।

  
Distt. Child Welfare Officer  
SIRSA

- 11 सफल बोलीदाता को दुकान सहमति पत्र लाईसैंस डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थाई रिहायशी प्रमाण-पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय में जमा करवाने अनिवार्य होंगे
- 12 सफल बोलीदाता को अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
- 13 सफल बोलीदाता को दुकान में अपने स्तर पर कोई तोड़-फोड़, बदलाव, निर्माण व अनैतिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा।
- 14 सफल बोलीदाता बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर बिल का स्वयं भुगतान करेगा।
- 15 सफल बोलीदाता को सहमति/अनुमति पत्र लाईसैंस डीड की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात दुकान को सही हालत में जिला बाल कल्याण परिषद को सुपुर्द करवायेगा।
- 16 सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा सभी बिलों का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।
- 17 सफल बोलीदाता को केवल दुकान के ग्रंउड फ्लोर पर प्रयोग करने का अधिकार होगा। दुकान की छत व बरामदे को इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने में स्वतंत्र होगी। इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर लाईसैंसी इन पर encroachment करता है तो बेदखली का हकदार होगा
- 18 बोली के दौरान कोई भी बोलीदाता नकद राशि 25000/-पच्चीस हजार रुपये धरोहर के रूप में देकर बोली दे सकता है।
- 19 अगर सफल बोलीदाता सिक्योरिटी राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो दूसरे नम्बर पर बोली देने वाले को दुकान लाईसैंस फीस पर दी जावेगी।
- 20 यह कि द्वितीय पक्ष जिस फर्म के नाम से दुकान लेगा उस फर्म का पंजीकृत प्रमाण पत्र भागिता विलेख प्रथम पक्ष को दुकान की बोली में भाग लेते समय या दुकान में प्रवेश से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

*Poonay*  
Distt. Child Welfare Officer  
SIRSA